हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आसूराम बनाम भैराराम

राजस्व आवेदन संख्या 95/22

अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर

दिनांक – 6.09.2022

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस बाद तामिल के पेश हुए। विप्रार्थी संख्या 2,3,5 के वकील ने दिनांक 21.6.2022 को प्रार्थना पत्र को खारिज करने का प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय में नेखमबंदी व पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रस्तुत किया उससे पूर्व विधि के सुस्थापित सिद्धान्त एवं रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयो अनुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही करवाकर उसकी रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र के संलग्न प्रस्तुत करना आवश्यक है । मगर प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमी, जिसी नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसका कोई सीमा ज्ञान नियमानुसार नहीं करवाया गया है न ही सीमाज्ञान की कोई रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत की गई है । जिसकी प्रति प्रार्थीगण वकील को दिलाई गई ।

पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया । प्रार्थीगण वकील को विप्रार्थी संख्या 2,3,5 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया उसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश नही किया गया। प्रार्थना पत्र जबाब का अवसर बंद किया जाता है ।

विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस को सुना गया । पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया । बाद गौर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र नेखमबदी/पत्थरगढी प्रस्तुत करने से पूर्व सीमाज्ञान करवाने की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट पेश नहीं करने के अभाव में प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verifi
Digitally signed by Nares
Date: 2022.10.05 19:02:
Reason: SelfAttested